सतबीर
महावीर
अ.नि. कौशल्या पत्नी हरपाल प्रतिवादी नं. 3
अ.नि. प्यारी

06/10/21 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प शिविर में पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वादी स्वयं भी उपस्थित आया। प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 5 की ओर से प्रविन्द्र सिंह एड० ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी 1 महावीर प्रतिवादी-5 प्यारी व प्रतिवादी सं. 3 हरपाल की ओर से उसकी पत्नी कौशल्या उपस्थित आये। उपस्थित वादी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ... जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ... झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.10.21 12:47:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प भिरे पं.स. बुहाना

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
व प्रतिवादीगण को तथा अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण को सुना गया। प्रतिवादी सं. 1, 5 व 3 की ओर से उसकी पत्नी कोशल्या का सहमति-पत्र लिया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। वादी का उक्त वाद के जरिये अनुतोष रहा है कि राजस्व ग्राम भिरे पटवार मण्डल भिरे की जमाबन्दी संवत 2045-48 के खाता संख्या 46 के खसरा नम्बर 300, 301, 395, 441, 442, 443, 465, 620, 878, 1071, 1072, 1075, 1224 किता 13 कुल रकबा 7.11 हे0 भूमि के खातेदार वादी के पिता नानड़ व रणजीत, शिशराम पुत्रान अर्जुन दर्ज रिकार्ड है। उक्त ~~कृषि~~ भूमि में वादी के पिता नानड़ का 1/3 हिस्सा था। ~~वादी~~ नानड़ की मृत्यु पर फौतगी नामान्तकरण संख्या 350 दिनांक 27-11-1991 को दर्ज किया गया। उस समय वादी के पिता [illegible] कि विरासत प्रतिवादी [illegible] 5 के नाम खातेदारी [illegible] का नाम भूलवश छोड़ दिया गया जबकि वादी भी नानड़ का विधिक वारिस है। वादी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.10.21 12:47:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प 7/10/21 पं.स. बुहाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नानड़ का विधिक वारिस होने के नाते नानड़ की वादग्रस्त पैतृक भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के साथ बराबर का हक प्राप्त करने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के साथ बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। मौके पर उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1, 5 स्वयं ने तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उसकी पत्नी ने व प्रतिवादी सं. 2, 4 की ओर से अधिवक्ता ने सहमति प्रकट कर वादी को वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के साथ बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। कैम्प में उपस्थित सरपंच व अन्य व्यक्तियों से जानकारी लिये जाने पर पाया कि वादी नानड़ का विधिक वारिस है जो नानड़ की वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के साथ बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 6 [illegible] वादी को कोई [illegible] नहीं [illegible] ही इनका कोई [illegible] होता है। इसलिये इनको सुना जाना आवश्यक नहीं है। वादी का वादी संदेह से परे साबित होता है। वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.10.21 12:47:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प सिरै

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रतिवादी सं. 1 ता. 5 के साथ वादग्रस्त भूमि में बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।	

-: आदेश :-

अतः वादी को राजस्व ग्राम सिरै पटवार मण्डल सिरै स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 300, 301, 395, 441, 442, 443, 465, 620, 878, 1071, 1072, 1075, 1224 किता 13 कुल रकबा 7.11 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के साथ उनके 1/3 हिस्से में बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो वह प्रतिवादी संख्या 1 ता. 5 के हिस्से पर ही रखा जावे। तदनुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल होकर दर्ज रजि. से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प सिरै में दिनांक 06.10.2021 को मजमें आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.10.21 12:47:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान) RAS
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)